☎ दूरभाष नं. 0145–2695856

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, केन्द्रीय कार्यशाला अजमेर

निविदा सूचना

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, अजमेर स्थित केन्द्रीय कार्यशाला मे दिनांक 01.01.2020 से एक वर्ष की अवधि के लिए निम्न कार्य अनुबन्ध के आधार पर कराए जाने की निविदा आमंत्रित की जाती है।

कम सं0	कार्य विवरण
01.	केन्टीन संचालन का कार्य

अतः इच्छुक व्यक्ति संस्था/फर्म/अपनी निविदा/प्रस्ताव (दरो का उल्लेख करते हुए) दिनांक 23/12/2020 को 14.30 बजे तक निम्न हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी, जिन्हे उसी दिनांक को 15.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी।

निर्धारित निविदा प्रपत्र एवं निविदा शर्ते इस कार्यालय के कार्य समय में निविदा प्रकाशन के 3 दिवस पश्चात् से रू 100/– निविदा शुल्क इस कार्यालय में रोकडिया को नकद जमा करवा कर प्राप्त किए जा सकते है। अधोहस्ताक्षरकर्ता को किसी भी निविदा प्रपत्र को बिना कोई कारण बताए पूर्ण या आंशिक रूप से निरस्त करने का अधिकार होगा तथा अन्तिम तिथि व समय के बाद प्राप्त होने वाली किसी भी निविदा पर विचार नही किया जावेगा।

उक्त निविदा निगम की वेबसाइट http://transport.rajasthan.gov.in/rsrtc पर भी उपलब्ध है।

(पंकज वर्मा)
मुख्य उत्पादन प्रबन्धक
केन्द्रीय कार्यशाला अजमेर

Scanned by CamScanner

केन्टीन संचालन हेतु शर्ते

1– उक्त निविदा केन्टीन चलाने के आदेश प्राप्त होने की दिनांक से एक वर्ष के लिए मान्य होगी। एक वर्ष पश्चात उक्त निविदा स्वतः ही समाप्त मानी जावेगी। विशेष परिस्थितियो मे संचालन अवधि बढाने हेतु निम्न हस्ताक्षरकर्ता अधिकृत होगें

2–कर्मचारियो को खाने–पीने की वस्तुओ का अधिकतम मूल्य वर्तमान में निम्न प्रकार से निर्धारित है

1– चाय प्रति कप मात्रा 100 एम,एल, —————— 04,00 रुपये प्रति कप

2–कचोडी, समोसा, कोफता 50 ग्राम —————————— 05,00 रुपये प्रति नग

3– पुडी (सब्जी,दाल,अतिरिक्त) 200 ग्राम ———————— 15,00 रुपये

4– चपाती मय सब्जी 200 ग्राम ————————— 15,00 रुपये

5– काफी एस्प्रो 100 एम,एल, —————————— 05,00 रुपये

6–बिस्किट/नमकीन/बेकरी आईटम —————— बाजार भाव अनुसार ।

3– केन्टीन मे उक्त सामग्री तैयार करने हेतु ऐगमार्क/मसाले रिफाइण्ड खाद्य तेल तथा फलोर मिल की कम्पनी पैक बैग मे उपलब्ध आटा काम मे लिया जायेगा। अनुबन्धकर्ता केन्टीन मे सीजनल फल तथा कोल्ड ड्रिंक भी रखेगें जो स्थानीय बाजार भाव के अनुसार बेची जायेगी ।

4–केन्टीन चलाने के अनुभव प्राप्त निविदा दाता को वरीयता दी जायगी ।

5–निविदा दाता को निविदा देते समय 2000/– दो हजार रुपये धरोहर राशि निगम कोष मे जमा कराने होगें। सफल निविदादाता को कुल पांच हजार प्रतिभु राशि जमा करानी होगी जिसमें जमा दो हजार रूपए समायोजित कर लिए जावेगे। असफल निविदादाता को निविदा की कार्यवाही पूर्ण होने पर बिना ब्याज एक सप्ताह पश्चात् जमा राशि लौटा दी जायेगी ।

6–केन्टीन ठेकेदार को चाय व नाश्ता जलपान समय मे टायर शाखा मे भी उपलब्ध करना होगा ।

7–निर्धारित माप दण्ड एंव समयानुसार खाद्य वस्तुए उपलब्ध नही कराने पर उस दिन की आर्थिक सहायता राशि काट ली जावेगी ।

8–बिना पूर्व सूचना के कार्य दिवस पर केन्टीन बन्द रखने पर रू 100/– प्रति कार्य दिवस आर्थिक दण्ड किया जा सकता है। पारिवारिक स्थिति अथवा अन्य आवश्यक कार्य की स्थिति मे केन्टीन सुचारु रुप से संचालित रखने की जिम्मेदारी निविदादाता की स्वंय की होगी ।

9–शर्त संख्या 7 व 8 का बार बार उल्लघंन करने के कारण दण्डित होने पर निविदा दाता द्वारा जमा कराई गई धरोहर राशि 5000/– रुपये जब्त करने की कार्यवाही की जायगी ।

10.– निविदादाता जिसके पक्ष में एक वर्ष के लिये निविदा स्वीकार है एक वर्ष पूर्व ही केन्टीन बन्द कर देगा या छोडना चाहेगा तो उसकी धरोहर राशि रू 5000/. जब्त करने की कार्यवाही की जावेगी ।

..................*लगातार*..........(2)

Scanned by CamScanner

11. केन्टिन में कार्यरत कर्मचारियों की वैधानिक कटौतिया जैसे सीपीएफ, ई.एस.आई, आयकर आदि नियोजक एवं कर्मचारियों का अंशदान स्वयं केंटिन ठेकेदार को ही वहन करना होगा । केंटिन में कार्यरत श्रमिकों को सरकार द्वारा निर्धारित वेतन देने की कार्यवाही एवं जिम्मेदारी भी केन्टीन ठेकेदार की होगी। केन्टीन में कार्यरत श्रमिको का निगम से कोई संबध एव नियत्रण नहीं होगा, उनकी उपस्थिति व व्यवस्था करना निविदादाता की जिम्मेवारी होगी।

12. अनुबन्ध के संबन्ध में किसी प्रकार के विवाद के लिए प्रबन्ध निदेशक एवं अध्यक्ष राजस्थान पथ परिवहन निगम पंच होंगे तथा उनका निर्णय अन्तिम एवं दोनो पक्षेां को मान्य होगा।

13. न्यायिक क्षेत्राधिकार अजमेर होगा।

14 अनुबन्धकर्ता एवं उसके अधिनस्थ कर्मियों के आई डी प्रुफ प्रस्तुत करने होंगे।

15. 100/— रूपये के स्टाम्प पर अनुबन्ध पत्र भर कर इस कार्यालय में जमा कराना होगा।

<u>केन्टीन चलाने हेतु निगम द्वारा निम्न सुविधा दी जावेगी :—</u>

1. निःशुल्क स्थान केन्टीन संचालन हेतु।

2. निःशुल्क फर्नीचर, पानी एवं विजली केवल रोशनी एवं पंखे के लिये।

3. कर्मचारियों को सस्ती दर पर खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने पर केंन्टीन ठेकेदार को रू.100/— प्रतिदिन आर्थिक सहायता दी जावेगी जब कार्यशाला एवं केन्टीन खुली रहेगी।

4. केन्टीन चलाने हेतु दो श्रमिकों के लिए 22 + 22 = 44/— रू प्रति कार्य दिवस जिस दिन कार्यशाला एवं केन्टीन खुली रहेगी वर्तमान में निगम द्वारा प्रदान की जावेगी एवं अनुबन्धकर्ता को अधीनस्थ श्रमिकों को मजदूरी अधिनियम द्वारा घोषित नियंत्रण दर से भुगतान करना होगा

Scanned by CamScanner